वित्त निर्देश 03/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 181/एफ 3-2/2009/वित्त/ब-4 रायपुर, दिनांक 29.01.2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय- वर्ष 2010-11 के बजट में प्रावधानित राशि से 28 फरवरी, 2011 के बाद क्रय पर प्रतिबंध ।

संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 320/बी-1/वित्त/चार/2002 दिनांक 26 फरवरी, 2002.

कृपया विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

संदर्भित ज्ञापन के माध्यम से राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाये रखने के लिये स्थाई निर्देश प्रसारित किये गये हैं । उसके पश्चात् भी यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में क्रय किया जाता है तथा केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है जिससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्व हो जाती है । यह प्रक्रिया शासन के हित में नहीं है । अत: शासकीय क्रय के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है-

(अ) वर्ष 2010-11 के बजट में प्रावधानित राशि से **28 फरवरी, 2011** के बाद क्रय पर पूर्णत: प्रतिबंध होगा । यह प्रतिबंध निम्नलिखित मदों में लागू नहीं होगा-

1. केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, नाबार्ड पोषित योजना एवं त्वरित सिचाई लाभ परियोजना के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री ।
2. निर्माण विभागों (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) से संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री ।

3. जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना अन्तर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाईयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय ।

4. पोषण आहार हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किये जा रहे खाद्यान्न का क्रय तथा परिवहन ।

5. आसवनियों से खरीदी गई देशी मदिरा का क्रय ।

6. पेट्रोल, डीजल एवं वाहन, मरम्मत से संबंधित क्रय ।

7. लेखन सामग्री से संबंधित क्रय के रूपये 5,000 तक के देयक ।

8. रूपये 5,000 तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक ।

9. दिनांक 28 फरवरी, 2011 या इसके पश्चात् वित्त विभाग के द्वारा दी गई स्वीकृति से किये गये क्रय ।

(ब) इस आदेश के फलस्वरूप दिनांक 28 फरवरी, 2011 से चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक क्रय के लिये विभिन्न स्तरों पर छ.ग. वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन भाग 1 एवं 2 में प्रदत्त शक्तियां अधिक्रमित रहेंगी ।

(तीन) उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.जे. खत्री)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 182/एफ 3-2/2009/वित्त/ब-4 रायपुर, दिनांक 29.01.2011

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/ मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7 महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
17. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

शोध अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग